सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी—रामनिवास जाट, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 56/15 **निर्णय दिनांकः 30.05.2019**

1. तुलसीराम पुत्र जीवणराम जाति जाट निवासी मूण्डसर तहसील बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. राजेश्वरी देवी पत्नी रतीराम जाट निवासी 33 केवाईडी तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, खाजुवाला।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 09—10—2014
उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला

उपस्थितः—

1. श्री सत्यपाल सहू, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री गिरधारी रामावत, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला के आदेश दिनांक 09—10—2014 जिसके द्वारा विधि विरूद्व तरीके से वादग्रस्त भूमि बतौर मिडियम पेच रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटित कर दी गई, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इ.गा.न.प.क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि चक 33 केवाईडी के मुरब्बा नम्बर 201/14 तादादी 17 बीघा 6 बिस्वा भूमि अपीलांट के नाम

दिनांक 09—03—1989 को जरिये मिसल संख्या 203/88 बतौर विशेष आवंटन की गई थी तथा अपीलांट द्वारा आवंटन पश्चात् तमाम राशि भी खजानाराज में जमा करवा दी गई तथा दिनांक 16—12—1991 को खातेदारी अधिकार भी प्रदान कर दिये गये। उक्त भूमि के बाबत पक्षकारों के मध्य विवाद आज दिनांक तक जैरकार है। जिस पर कोई गौर किये बिना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा चक 33 केवाईडी के मुरब्बा नम्बर 201/14 में कुल तादादी 17 बीघा 02 बिस्वा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में बतौर मिडियम पेच किया गया है, जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष को सुना गया।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को चक 33 केवाईडी के मुरब्बा नम्बर 201/14 तादादी 17 बीघा 6 बिस्वा भूमि अपीलांट के नाम दिनांक 09—03—1989 को जरिये मिसल संख्या 203/88 बतौर विशेष आवंटन की गई थी तथा अपीलांट द्वारा आवंटन पश्चात् तमाम राशि भी खजानाराज में जमा करवा दी गई तथा दिनांक 16—12—1991 को खातेदारी अधिकार भी प्रदान कर दिये गये। तत्पश्चात् उक्त प्रकरण पर नियम 22 (3) के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए जिला कलेक्टर, बीकानेर ने 1997 में उक्त आवंटन निरस्त कर दिया गया। जिसके विरूद्व निगरानी राजस्व मण्डल, अजमेर में की गई तथा उक्त निगरानी आज दिनांक तक जैरकार है।

जिस पर कोई गौर किये बिना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा चक 33 केवाईडी के मुरब्बा नम्बर 2014/14 के किला नम्बर 4, 5 तादादी 2 बीघा कमाण्ड, किला नम्बर 6 तादादी 16 बिस्वा कमाण्ड, किला नम्बर 7, 8 तादादी 2 बीघा कमाण्ड, किला नम्बर 14 तादादी 19 बिस्वा कमाण्ड, किला नम्बर 15 तादादी 18 बिस्वा कमाण्ड, किला नम्बर 17 तादादी 4 बिस्वा कमाण्ड इस प्रकार 6 बीघा 12 बिस्वा कमाण्ड एवं किला नम्बर 9 ता 13 तादादी 5 बीघा अनकमाण्ड, किला नम्बर 18 ता 22 तादादी 5 बीघा अनकमाण्ड, किला नम्क्बर 16 तादादी 14 बिस्वा

अनकमाण्ड इस प्रकार 10 बीघा 14 बिस्वा अनकमाण्ड कुल 17 बीघा 6 बिस्वा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम से दिनांक 09—10—2014 को बतौर मिडियम पेच किया गया।

उन्होनें आगे बताया कि उक्त भूमि विशेष आवंटन हेतु राजस्थान गजट में 1988 में प्रकाशित भूमि है। ऐसी स्थिति में विशेष आवंटन हेतु गजट में प्रकाशित भूमि का आवंटन बतौर मिडियम पेच नहीं किया जा सकता तथा न ही कानून में ऐसा कोई प्रावधान निहित है। आवंटन अधिकारी द्वारा बतौर मिडियम पेच 20 बीघा अनकमाण्ड से अधिक भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है। जिसकी कानून कतई अनुमति प्रदान नहीं करता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में मात्र आवंटन आदेशिका की संलग्न है इसके अतिरिक्त आवंटन पूर्व क्या कार्यवाही आवंटन अधिकारी की गई इसका पत्रावली में कहीं कोई उल्लेख नहीं है। पत्रावली में आवंटन का प्रार्थना पत्र भी आवंटी के पति द्वारा प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रार्थना पत्र पर आवंटन अधिकारी ना तो कोई रिपोर्ट प्राप्त की गई ना ही मिडियम पेच आवंटन से पूर्व अन्य चिपते काश्तकारों को कोई नोटिस अथवा सूचना प्रदान की गई है।

अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट को वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व ना तो मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई ना ही अपीलांट को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किया गया है। अदालत मातहत द्वारा तमाम कार्यवाही एकतरफा तौर पर बिना किसी प्रकार की जॉच किये रेस्पोडेन्ट के आवेदन पर वादगत् भूमि का आंवटन बतौर मिडियम पेच कर दिया गया। चूंकि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना पारित किया गया है। ऐसे मामलों में मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियांद शुमार की जाकर आदेश जैर अपील निरस्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में आरबीजे 2001 पेज 351, आरएलडब्ल्यू 1975 पेज 80, आरआरडी 1985 पेज 43 बी, आरआरटी 2002 पार्ट I पेज 648, आरआरटी 2001 पार्ट I पेज 77, आरआरटी 2001 पार्ट II पेज 1014, आरआरटी 2007 पार्ट II

पेज 785, आरआरटी 2008 पार्ट II पेज 1406 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा चक 33 केवाईडी के मुरब्बा नम्बर 201/14 में 17 बीघा रकबा दिनांक 09—03—1989 को पुख्ता आवंटन होना बताया गया है। जबकि वास्तविकता यह है कि अपीलांट ने चक 33 केवाईडी के मुरब्बा नम्बर 201/14 की 17 बीघा भूमि का आवंटन तथ्यों को छिपाकर करवाया गया था। जिसके विरूद्व जिला कलेक्टर, बीकानेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। उक्त अपील में जिला कलेक्टर, बीकानेर द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (ईगानप क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के 22 (3) में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त आवंटन निरस्त कर दिया गया। अपीलांट द्वारा उक्त निर्णय के विरूद्व माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। उक्त अपील भी मण्डल द्वारा निरस्त कर दी गई। उक्त निर्णय के विरूद्व माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर में नजरसानी प्रस्तुत की गई, उक्त नजरसानी भी दिनांक 09—09—2003 को निरस्त कर दी गई।

इस प्रकार उक्त भूमि आवंटन दिनांक को शुद्व रूप से आराजीराज दर्ज रिकार्ड होने पर विधिवत रूप से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटित की गई है। चूंकि अपीलांट द्वारा उक्त निरस्तीकरण के आदेश के विरूद्व उच्चतर न्यायालय में कोई चाराजोई नहीं की गई है अतः उक्त आदेश अंतिम हो चुका है। लिहाजा वादग्रस्त भूमि से अपीलांट का कोई सरोकार नहीं है। अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की लोकस स्टेण्डाई प्राप्त नहीं है। अपीलांट का रकबा खारिज हुए लम्बा अरसा व्यतीत हो चुका है।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने आगे बताया कि प्रकरण में जहॉ तक वादग्रस्त भूमि के रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटन किये जाने का प्रश्न है, अपीलांट के धारण में वादग्रस्त मुरब्बें में अथवा चिपते हुए किसी मुरब्बें में भूमि निहित नहीं है। इसलिए प्रथम दृष्टया वे प्रभावित पक्षकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि के आवंटन हेतु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने तथा अन्य

किसी चिपते काश्तकार का आवेदन प्रस्तुत नहीं होने पर वादग्रस्त भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है। इस संबंध में आरआरटी 2016 पार्ट I पेज 185—197 फौजासिंह बनाम सरकार में यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया है कि राजस्थान उपनिवेशन (ईगानप क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम 1975) के नियम 14ए मिडियम पेच में भूमि आवंटन के संबंध में आवेदित भूमि के चिपते हुए काश्तकारों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है तो उसे भी शामिल किया जायेगा यदि किसी ने अथवा किसी एक ने आवेदन किया है तो पड़ौसी काश्तकारों को व्यक्तिगत रूप से सूचना देने अथवा नोटिस देने का नियमों में कोई प्रावधान निहित नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण में भी वादग्रस्त भूमि के आवंटन हेतु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का आवेदन पत्र प्रस्तुत होने पर आवंटन अधिकारी द्वारा पूर्ण प्रकिया को अपनाते हुए वादग्रस्त भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है। उक्त आवंटन से अपीलांट के हित किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होते है।

अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट को उक्त भूमि का आवंटन करते हुए तमाम राशि जमा करवाई जा चुकी है। जहॉ तक अपीलांट का कथन कि वादगत् भूमि उसे पूर्व में आवंटित थी ऐसी स्थिति में उक्त भूमि आक्यूपाईड लैण्ड की श्रेणी की है। इस संबंध में राजस्व अभिलेख में वादगत् भूमि शुद्व रूप से आराजीराज दर्ज है तथा मौके पर खाली पड़ी है। ऐसी स्थिति में वादगत् भूमि रेस्पोडेन्ट को आवंटित किये जाने की तिथि को शुद्व रूप से आराजीराज व आक्यूपाईडलैण्ड नहीं थी। इसप्रकार रेस्पोडेन्ट का आवंटन पूर्णतया सही व आवंटन नियमों की पालना करते हुए अदालत मातहत द्वारा किया गया है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर आदेश जैर अपील बहाल रखा जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपने कथन के समर्थन में आरआरटी 2005 पार्ट II पेज 1257 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

7. प्रस्तुत प्रकरण में जहॉ तक अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की लोकस स्टेण्डाई का प्रश्न है, इस संबंध में पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों से प्रथम दृष्टया साबित है कि अपीलांट शुरू से ही विवादित भूमि से हितबद्व रहा है। ऐसी स्थिति में अपीलांट नियम विरूद्व आवंटन आदेश की अपील करने का अधिकार रखता है।

प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट की मुख्य आपत्ति मिडियम पेच आवंटन को लेकर है, उनका कथन है कि मिडियम पेच आवंटन के तहत कुल 20 बीघा अनकमाण्ड या 10 बीघा कमाण्ड भूमि ही मिडियम पेच के रूप में आवंटित की जा सकती थी। अधिनस्थ न्यायालय/आवंटन अधिकारी द्वारा नियमों के विपरीत जाकर 6 बीघा 12 बिस्वा कमाण्ड तथा 10 बीघा 14 बिस्वा अनकमाण्ड जोकि कुल 23 बीघा 18 बिस्वा अनकमाण्ड के बराबर बनती है, का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है। जो स्पष्ट रूप से मिडियम पेच आवंटन हेतु उपलब्ध नियमों के विपरीत किया गया आवंटन है।

इस संबंध में पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों व अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया गया। चक 33 केवाईडी के मुरब्बा नम्बर 201/14 की कुल 25 बीघा भूमि में से 04 बीघा रकबा नहर में चला गया तथा केवल 03 बीघा रकबा ही रेस्पोडेन्ट राजेश्वरी की खातेदारी में था। ऐसी स्थिति में शेष 17 बीघा रकबा खुली निलामी द्वारा ही विक्रय/आवंटन योग्य था। मुरब्बा नम्बर 201/14 का 3/4 रकबा मिडियम पेच के रूप में नहीं माना जा सकता तथा न ही उसी मुरब्बें के मात्र 03 बीघा रकबाधारक को केवल पड़ौसी खातेदार माना ता सकता है।

यदि उक्त भूमि मिडियम पेच के रूप में विक्रय योग्य धोषित भी की गई है तो आवंटन नियम 9 से 12 तक में निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुए सार्वजनिक सूचना के तहत 30 दिन के भीतर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाने थे। आवंटन अधिकारी ने कोई सूचना प्रकाशित नहीं की तथा रतीराम नाम के व्यक्ति के हस्ताक्षरों वाला आवेदन दिनांक 10—07—2013 को प्राप्त किया। अगले दिन पटवारी व तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त की तथा पत्रावली को बिना किसी कारण लम्बित

रखी जाकर अकस्मात् दिनांक 10—01—2014 को रेस्पोडेन्ट राजेश्वरी के पक्ष में आवंटन आदेश जारी कर दिया। यदि भूमि का विक्रय खुली प्रतिस्पर्धात्मक दरों को आमंत्रित करते हुए किया जाता तो सरकार को अतिरिक्त आय होती। आवंटन अधिकारी/उपखण्ड अधिकारी की यह कार्यवाही मनमानी एवं नियत विरूद्व है, जिसके तहत अन्य पड़ौसी खातेदारों को आवेदन करने से जानबूझकर वंचित किया गया है तथा सरकार को राजस्व हानि पहुॅचाई गई है।

8. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला दिनांक 09—019—2014 निरस्त किया जाता है।

9. निर्णय आज दिनांक 30.05.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर